

## निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 147/2015 वादपत्र धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1- श्री दुर्गाशंकर पिता जगराम ब्राहमण नि. पुनावली तह. बड़ीसादड़ी

- वादी

|| बनाम ||

1- बसंती देवी पत्नी अशोक महात्मा जैन नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी

2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

सांक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- श्री दुर्गाशंकर पुत्र जगराम 3/4 ब्राहमण सा. पुनावली रहन बदस्तुर बसंती देवी पत्नी  
अशोक कुमार 1/4 महात्मा सा. देह. खाता रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1155	0.04
1156	0.85
1157	0.91
3	1.80

2- बसंती देवी पत्नी अशोक कुमार महात्मा सा. देह खाता रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1157/1	0.45
1	0.45

3- दुर्गाशंकर पुत्र जगराम ब्राहमण सा. पुनावली खाता रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1155	0.04
1156	0.85
1157 मी.	0.46
3	1.35

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.21 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



बिन्दु बाला राजावत (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी



मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 147/2015 वादपत्र धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1- श्री दुर्गाशंकर पिता जगराम ब्राहमण नि. पुनावली तह. बड़ीसादड़ी  
- वादी

॥ बनाम ॥

1- बसंती देवी पत्नी अशोक महात्मा जैन नि. निकुंभ तह. बड़ीसादड़ी  
2- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी  
- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- श्री दुर्गाशंकर पुत्र जगराम 3/4 ब्राहमण सा. पुनावली रहन बदस्तुर बसंती देवी पत्नी  
अशोक कुमार 1/4 महात्मा सा. देह. खाता रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1155	0.04
1156	0.85
1157	0.91
3	1.80

2- बसंती देवी पत्नी अशोक कुमार महात्मा सा. देह खाता रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1157/1	0.45
1	0.45

3- दुर्गाशंकर पुत्र जगराम ब्राहमण सा. पुनावली खाता रहन बदस्तुर

आ. नं.	रकबा
1155	0.04
1156	0.85
1157 मी.	0.46
3	1.35

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत..... को दी जावे। यह आज दिनांक 21.10.21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



बिन्दु बाला राजावत (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2021/179

दिनांक : 21.10.21

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी